[2022] 6 एस. सी. आर. 763

ए.

धनंजय राय @गुड्डु राय बनाम।

बिहार राज्य

(2017 की आपराधिक अपील No.803) 14 जुलाई, 2022

बी.

[अभय एस**.** ओका और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.374 (2)-अपीलार्थी यू/एस. एस. द्वारा दोषी ठहराया गया। 302 और आई. पी. सी. और धारा 120 बी।27(1) शस्त्र अधिनियम, 1959-उन्होंने अपील को प्राथमिकता दी-पटना के उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अपील को स्वीकार कर लिया-इस बीच, अपीलकर्ता फरार हो गया-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर गुण-दोष को स्वीकार किए बिना अपील को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी फरार था-क्या किसी अभियुक्त द्वारा धारा (2) के तहत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर की गई थी।374 सी. आर. पी. सी. को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि आरोपी फरार था-गिरफ्तारःकानून में चूक या गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करने की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन केवल रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद गुण-दोष पर निपटान पर विचार किया गया है-वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने आर के आधार पर उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया था।8 पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय 12 में यह भविष्यवाणी की गई है कि दोषसिद्धि के खिलाफ किसी भी अपील पर तब तक प्रवेश के लिए सुनवाई नहीं की जाएगी जब तक कि अभियुक्त ने उसे कारावास की सजा के लिए दोषी ठहराते हुए न्यायालय के आदेश के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया है, सिवाय उस मामले के जिसमें अपीलार्थी को दोषी ठहराने के बाद निचली विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है-हाथ में मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उसकी अपील पहले ही स्वीकार कर ली गई थी-इसलिए, उक्त नियम, जो प्रवेश से पहले के चरण पर लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं था-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की फरार होने और न्याय प्रशासन को हराने की बेशर्मी भरी कार्रवाई के बारे में व्यक्त की गई पीड़ा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है-हालाँकि, यह दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करने का कोई आधार नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

763 ए.

764 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.**विवादित फैसले में, पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्वयं दर्ज किया है कि वह कानून की तय स्थिति से विचलित हो रही है।इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के इस न्यायालय के निर्णय में अच्छी तरह से स्थापित कानून पाया जा सकता है।

बी.

बानी सिंह और अन्य का मामला बनामयू. पी. राज्य में यह माना गया कि

धारा **385-386** सी. आर. पी. सी. की सरल भाषा गैर-अभियोजन सरलीकरण के लिए अपील को खारिज करने पर विचार नहीं करती है।इसके विपरीत, सी. आर. पी. सी. अभिलेख के अवलोकन और जांच के बाद योग्यता के आधार पर अपील के निपटारे की परिकल्पना करता है।कानून स्पष्ट रूप से उम्मीद करता है कि अपीलीय विचारण न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करेगी, न केवल फैसले में निचली विचारण न्यायालय के तर्क पर विचार करके, बल्कि खुद को संतुष्ट करने की दृष्टि से रिकॉर्ड पर साक्ष्य के साथ तर्क की प्रतिपरीक्षा करके कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तर्क और निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री के अनुरूप हैं।इसलिए, कानून में चूक या गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करने की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद केवल गुण-दोष पर निपटान पर विचार किया गया है।**[**पैरा **6] [767-**डी**; 768-**ई-जी**]**

सी.

डी.

2. तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने दया शंकर सिंह के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जो पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय **12** के नियम **8** पर आधारित था, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि दोषसिद्धि के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आरोपी ने उसे कारावास की सजा के लिए दोषी ठहराते हुए विचारण न्यायालय के आदेश के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर दिया है, सिवाय उस मामले के जहां अपीलार्थी को निचली विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद

जमानत पर रिहा कर दिया गया है।हाथ में मामले में, अपील पहले ही स्वीकार कर ली गई थी। इसलिए, उक्त नियम, जो प्रवेश-पूर्व चरण पर लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं था।[पैरा **7] [770-**बी-सी]

ई.

एफ.

जी.

3. डिवीजन बेंच द्वारा अपीलार्थी की फरार होने और न्याय प्रशासन को पराजित करने की बेशर्मी भरी कार्रवाई के बारे में व्यक्त की गई पीड़ा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हालाँकि, यह ए के बिना गैर-अभियोजन के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करने का कोई आधार नहीं है, जिसे पहले ही अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था।

एच.

765

धनन्जय राय @गुड्डु राय बनाम बिहार राज्य ए

गुणों की ओर झुकाव।इसलिए, विवादित फैसले को अपास्त करनाना होगा और योग्यता के आधार पर विचार के लिए अपील को उच्च न्यायालय में भेजना होगा।[पैरा **8] [770-**डी-ई]

बानी सिंह और अन्य बनामउत्तर प्रदेश राज्य **(1996) 4** एस. सी. सी. **720**

:[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. **247-**पर निर्भर।

बी.

दया शंकर सिंह और अन्र बनामबिहार राज्य **(2004)**

एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट **1189-**लागू नहीं है।

श्याम देव पांडे और अन्य बनामबिहार राज्य **(1971) 1**

एससीसी 855:[1971] पूरक।एस. सी. आर. 133; सूर्य बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2 स्केल 492:[2013]

सी.

14 एससीआर **452;** के. एस. पांडुरंग बनाम कर्नाटक राज्य

(2013) 3 एससीसी 721:[2013] 4 एस. सी. आर. 155 और राम नरेश यादव बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1500-निर्दिष्ट।

डी.

संदर्भित निर्णय

[1971] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 133** पैरा **4 [2013] 14** एस**.** सी**.** आर**. 452** पैरा **4 [2013] 4** एस**.** सी**.** आर**. 155** पैरा **4 [1996] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस**.** सी**.** आर**. 247** पैरा **6** ए**.** आई**.** आर**. 1987** एस**.** सी**. 1500** पर निर्भर था जिसे पैरा **6** में संदर्भित किया गया है।

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2017 की आपराधिक अपील No.803।

एफ.

2009 के आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 936 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 25.08.2015 से।अनुज प्रकाश, सिद्धार्थ झा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।साकेत सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस**.** ओकेए**,** जे**.**

1. इस अपील में शामिल संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या किसी अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 की उप-धारा (2) के तहत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर की गई है। पी. सी. ') को इस आधार पर बर्खास्त किया जा सकता है कि आरोपी फरार है।

बी.

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 272 और 120 बी और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।अधिकतम मूल सजा आजीवन कारावास की है।2006 के सत्र मुकदमे में बक्सर के

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 4 सितंबर 2009 के उपरोक्त निर्णय और आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी।29 अक्टूबर 2009 को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने सुनवाई के लिए अपील को स्वीकार कर लिया।जब अपीलार्थी द्वारा दायर सजा के निलंबन का आवेदन उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष आया, तो यह अदालत के संज्ञान में लाया गया कि अपीलार्थी फरार है।इसके बाद, अपीलार्थी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।जैसे ही अपीलार्थी फरार था, पुलिस महानिदेशक ने सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की जो अपीलार्थी के ठिकाने की सूचना दे सकता था।

सी.

डी.

ई.

3. 25 अगस्त 2015 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपील के गुण-दोष को इस आधार पर स्वीकार किए बिना अपील को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी फरार था।

एफ.

4. डिवीजन बेंच ने कहा कि हालांकि अपील का उपाय एक मूल्यवान अधिकार है, लेकिन अपीलार्थी ने हिरासत से बचने के साथ ही अपील करने का अपना अधिकार खो दिया और कानून की प्रक्रिया का खुलेआम दुरुपयोग किया।विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित विद्वान कि अपीलार्थी की ओर से इस तरह का जानबूझकर विद्वान गया कार्य न्याय के आपराधिक प्रशासन की अवज्ञा के बराबर है।डिवीजन बेंच ने इस मामले में इस न्यायालय के एक फैसले को संदर्भित किया

जी.

श्याम देव पांडे और अन्य बनामबिहार राज्य **1.**डिवीजन बेंच

सूर्य बक्श के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय को संदर्भित किया गया

1 (1971) 1 एससीसी 855 ए

एच.

767

धनन्जय राय @गुड्डू राय बनाम बिहार राज्य [अभय एस. ओका, जे.]

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2** और उसी का निर्णय

दया शंकर सिंह और अन्र बनाम के मामले में उच्च न्यायालय।की स्थिति

बिहार 3.के. एस. पांडुरंग बनाम कर्नाटक राज्य 4 के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय को स्वीकार करने के बाद, खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उसके समक्ष मामले की परिस्थितियां असाधारण थीं और इसलिए, न्यायालय को कानून के तय किए गए सिद्धांत से विचलित होने की आवश्यकता थी कि एक बार अपीलीय न्यायालय ने अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने से इनकार कर दिया है, तो उसकी सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए।

बी.

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, जो कारण दर्ज किए जा रहे हैं, हमारे पास विवादित फैसले को अपास्त करनाने और अपील को उच्च न्यायालय के नए सिरे से विचार के लिए रिमांड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सी.

6. विवादित फैसले में, पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्वयं दर्ज किया है कि वह कानून की तय स्थिति से विचलित हो रही है।इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।अच्छी तरह से स्थापित कानून बानी सिंह और अन्य बनाम के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के इस न्यायालय के फैसले में पाया जा सकता है।उत्तर प्रदेश राज्य 5.उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय गैर-अभियोजन के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करने में उचित था।इस न्यायालय ने श्याम देव 1 और राम नरेश यादव बनाम बिहार राज्य 6 के मामले में इस न्यायालय की दो समन्वित पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में संघर्ष को नोट किया। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 13 से 15 प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैंः

डी.

ई.

“13. फिर इस न्यायालय के दो फैसलों के बीच टकराव का क्या क्षेत्र है?श्याम देव मामले [(1971) 1 एस. सी. सी. 855:1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 353:ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1606], इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक बार जब अपीलीय न्यायालय योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए अपील को स्वीकार कर लेता है, तो वह अपीलार्थी या उसके वकील की गैर-उपस्थिति के लिए गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज नहीं कर सकता है, लेकिन मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करना चाहिए।इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अपीलार्थी या उसका वकील अनुपस्थित है, तो अपील

एफ.

जी.

2 (2013) 2 स्केल 492 = (2014) 14 एससीसी 222 3 2004 एससीसी ऑनलाइन पैट 1189

4 (2013) 3 एससीसी 721 5 (1996) 4 एससीसी 720 6 एआईआर 1987 एससी 1500 ए

एच.

न्यायालय अपील को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह अभिलेख को देखने के बाद गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा कर सकता है।राम नरेश यादव मामले में [ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1500:1987 सी. आर. आई. एल. जे. 1856], न्यायालय ने संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण नहीं किया और न ही उसने श्याम देव मामले [(1971) 1 एस. सी. सी. 855 में लिए गए दृष्टिकोण पर ध्यान दियाः1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 353:ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1606] लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अपीलार्थी का वकील अनुपस्थित है, तो उचित मार्ग गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करना होगा, लेकिन गुण-दोष पर नहीं; इसका निपटारा अपीलार्थी या उसके वकील को सुनने के बाद या अभियुक्त की ओर से मामले में बहस करने के लिए राज्य की कीमत पर किसी अन्य वकील को नियुक्त करने के बाद ही गुण-दोष पर किया जा सकता है।

बी.

सी.

14. हमने इस न्यायालय के उक्त दो निर्णयों में व्यक्त विचार पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम यह कह सकते हैं कि

श्याम देव मामले में लिया गया **[(1971) 1** एस**.** सी**.** सी**. 855:1971** एस**.** सी**.** सी**.** **(**सी**.** आर**.** आई**) 353:**ए**.** आई**.** आर**. 1971** एस**.** सी**. 1606]** एक मामूली स्पष्टीकरण को छोड़कर ध्वनि प्रतीत होता है जिसे हम आवश्यक मानते हैं

डी.

उल्लेख करें।धारा 385 की सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि यदि अपीलीय न्यायालय संक्षिप्त बर्खास्तगी के लिए अपील को उपयुक्त नहीं मानता है, तो उसे रिकॉर्ड के लिए 'अवश्य' बुलाना

चाहिए और धारा 386 आदेश देती है कि रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद, अपीलीय न्यायालय अभियुक्त या उसके वकील को सुनने के बाद अपील का निपटारा कर सकता है।इसलिए,

ई.

धारा **385-386** की सरल भाषा गैर**-**अभियोजन सरलीकरण के लिए अपील को खारिज करने पर विचार नहीं करती है।इसके विपरीत**,** संहिता में अभिलेख के अवलोकन और जांच के बाद योग्यता के आधार पर अपील के निपटारे की परिकल्पना की गई है।कानून स्पष्ट रूप से उम्मीद करता है कि अपीलीय विचारण न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करेगी**,** न केवल फैसले में निचली विचारण न्यायालय के तर्क पर विचार करके**,** बल्कि खुद को संतुष्ट करने की दृष्टि से रिकॉर्ड पर साक्ष्य के साथ तर्क की प्रतिपरीक्षा करके कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तर्क और निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री के अनुरूप हैं।इसलिए**,** कानून में चूक या गैर**-**अभियोजन के लिए अपील को खारिज करने की परिकल्पना नहीं की गई है**,** बल्कि रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद केवल गुण**-**दोष पर निपटान पर विचार किया गया है। इसलिए**,** सम्मान के साथ**,** हमें राम नरेश यादव मामले में सुझाव से सहमत होना मुश्किल लगता है **[**ए**.** आई**.** आर**. 1987** एस**.** सी**. 1500:1987** क्रि ए

एफ.

जी.

एच.

769

धनन्जय राय @गुड्डू राय बनाम बिहार राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

एल**.** जे**. 1856]** कि यदि अपीलार्थी या उसका वकील उपस्थित नहीं है**,** तो अभियोजन न चलाने की अपील को खारिज करना उचित तरीका होगा।

15. दूसरा, कानून उम्मीद करता है कि अपीलीय न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील के निपटारे से पहले अपीलार्थी या उसके वकील, यदि वह मौजूद है, और लोक अभियोजक, यदि वह मौजूद है, की सुनवाई करेगी।धारा 385 में कहा गया है कि यदि अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं किया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय उस समय और स्थान की सूचना देगा जिस पर अपील की सुनवाई अपीलार्थी या उसके वकील को दी जाएगी।धारा 386 में यह प्रावधान है कि अपीलीय न्यायालय, अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, अपीलार्थी या उसके वकील को सुनेगा, यदि वह पेश होता है।यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 385 अपील की सुनवाई के समय और स्थान की सूचना अपीलार्थी या उसके वकील को देने का प्रावधान करती है, न कि दोनों को, संभवतः इसलिए कि याचिकाकर्ता को सूचना भी पर्याप्त मानी गई थी क्योंकि वह अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व कर रहा था।इसलिए भी धारा 386 अपीलार्थी या उसके वकील

को सुनवाई देने का प्रावधान करती है, यदि वह मौजूद है, और दोनों को सुनने की आवश्यकता नहीं है।यह अपीलार्थी और उसके वकील का कर्तव्य है कि वे उस नियत दिन, समय और स्थान पर उपस्थित रहें जब अपील सुनवाई के लिए रखी जाती है।कोड के अनुभाग 385-386 के सादे पढ़ने पर यह कोड की आवश्यकता है।कानून यह आदेश नहीं देता है कि यदि अपीलार्थी और उसका वकील दोनों अनुपस्थित हैं तो न्यायालय मामले को स्थगित कर देगी।यदि न्यायालय विवेक या अनुग्रह के मामले के रूप में ऐसा करता है, तो यह एक अलग मामला है, लेकिन यह मामले को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं है।यह अभिलेख और निचली विचारण न्यायालय के फैसले को देखने के बाद अपील का निपटारा कर सकता है।हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करेंगे कि यदि अभियुक्त जेल में है और अपने दम पर न्यायालय में नहीं आ सकता है, तो मामले को स्थगित करने और अभियुक्त/अपीलार्थी की उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक और तारीख तय करने की सलाह दी जाएगी यदि उसका वकील मौजूद नहीं है।यदि वकील अनुपस्थित है, और न्यायालय इसे सहायता करने के लिए राज्य के खर्च पर एक वकील नियुक्त करना उचित समझती है, तो कानून में ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।इसलिए हमारी राय है और हम सम्मान के साथ कहते हैं कि राम नरेश यादव मामले [ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1500] का फैसला करने वाली खंड पीठः1987 सी. आर. आई. एल. जे. 1856] ने संहिता की धाराओं 385-386 के प्रावधानों को सही ढंग से लागू नहीं किया जब यह संकेत दिया गया कि

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यदि अपीलार्थी या उसका वकील अनुपस्थित रहता है तो अपीलीय न्यायालय मामले को किसी अन्य तिथि तक स्थगित करने के लिए बाध्य था।" (जोर जोड़ा गया) 7.हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने दया शंकर सिंह 3 के मामले में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया

जो पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय XII के नियम 8 पर आधारित था, जो भविष्यवाणी करता है कि दोषसिद्धि के खिलाफ किसी भी अपील को स्वीकार करने के लिए तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक कि अभियुक्त ने उसे कारावास की सजा के लिए दोषी ठहराते हुए न्यायालय के आदेश के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर दिया है, सिवाय उस मामले के जहां अपीलार्थी को निचली विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है।हाथ में मामले में, अपील पहले ही 29 अक्टूबर 2009 को स्वीकार कर ली गई थी।इसलिए, उक्त नियम, जो प्रवेश-पूर्व चरण पर लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं था।

बी.

सी.

8. डिवीजन बेंच द्वारा अपीलार्थी की फरार होने और न्याय प्रशासन को पराजित करने की निर्लज्ज कार्रवाई के बारे में व्यक्त की गई पीड़ा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।हालाँकि, यह दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करने का कोई आधार नहीं है, जिसे पहले से ही अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था, बिना गुण-दोष के अभियोजन के लिए। इसलिए, विवादित फैसले को अपास्त करनाना होगा और योग्यता के आधार पर विचार के लिए अपील को उच्च न्यायालय में भेजना होगा।

डी.

ई.

9. हम ध्यान दे सकते हैं कि बाद में, अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया गया और वास्तव में इस अपील में जमानत के लिए एक आवेदन पर सुनवाई की गई और 14 मई 2018 को खारिज कर दिया गया।

10. चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील वर्ष 2009 की है, इसलिए इस पर तेजी से सुनवाई करनी होगी।यदि अपील की सुनवाई उचित समय के भीतर नहीं की जा सकी, तो उस स्थिति में, अपीलार्थी को सजा के निलंबन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देनी होगी।

एफ.

11. तदनुसार, 25 अगस्त 2015 के विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है।आपराधिक अपील (डी. बी.) 2009 के No.936 को कानून के अनुसार सुनवाई के लिए पटना के उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है।

जी.

12. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील वर्ष 2009 की है, अपील के निपटारे को आवश्यक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।इसलिए हम उच्च ए से अनुरोध करते हैं

न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि अपील का निपटान आज से छह महीने की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्रता से किया जाए।

13. यदि आज से छह महीने की अवधि के भीतर अपील पर सुनवाई नहीं होती है, तो अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के निलंबन के लिए आवेदन कर सकता है।

बी.

14. उपरोक्त शर्तों में अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

बिभूति भूषण बोस

मामला उच्च न्यायालय में भेज दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.